यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -III वाणिज्य कर रूड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -III वाणिज्य कर रूड़की के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2017 से 30.08.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा नई इकाई सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीयों द्वारा दिनांक - से - तक - लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह - से - तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - मेन बाजार रूड़की, कलियर, भगवानपुर

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	-
2015-16	8766.18
2016-17	9603.68

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

वित्त सचिव > राज्य आयुक्त कर, >अपर आयुक्त> ज्वाइंट कमिश्नर, > डिप्टी कमिश्नर, > सहायक आयुक्त > माल एवं सेवा कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-III वाणिज्य कर रूड़की** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व

भाग-2 क

प्रस्तर01- क्रेता व्यौहारियों से अधिक वसूला गया कर शासकीय कोष में जमा न किये जानें के कारण ₹ 33,04,032/- के ITC का अनियमित उपभोग (Utilization)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 22(8) के प्रावधानों के अनुसार क्रेता व्यौहारियों से गलत तरीके से अधिक वसूला गया कर प्रावधानिक तरीके से शासकीय कोष में जमा किया जायेगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि) -03 वा.क. रूड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि व्यौहारी सर्व श्री क्रिसेण्ट एण्टरप्राईजेज भगवानपुर रूड़की, कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 3,88,70,974/- के एल्यूमिनियम एवं कॉपर वायर की प्रान्तीय बिक्री की गई जिस पर व्यौहारी द्वारा क्रेता व्यौहारीयों से 13.5% की दर से ₹52,47,581/- का कर वसूल किया गया जबकि उपरोक्त वस्तु अनुसूची II (B) के प्रविष्टि सं0 47 से आच्छादित होनें के कारण उस पर क्रेता व्यौहारियों से 5% की दर से कर वसूल किया जाना था। इस प्रकार विक्रेता व्यौहारी द्वारा ₹33,04,032/- का अधिक कर वसूल किया गया जिसे व्यौहारी द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार शासकीय कोष में जमा नहीं किया गया।

पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा जाँच में यह भी पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यौहारी को संगत वर्ष से इस प्रकार गलत तरीके से वसूल किये गये ₹33,04,032/- के कर का ITC के रूप में उपभोग (Utilization) किया जाना अनुमन्य किया गया, जो अनियमित था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि एल्यूमनियम एवं कॉपर वायर अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण अनुसूची II(B) की प्रविष्टि सं0- 47 से आच्छादित नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि M/S Shree Tyre India Pvt Ltd, Rishikesh vs The Commissioner, Commercial Tax Uttarakhand, Dehradun के वाद मे माननीय वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार व्यौहारी को खरीद पर पूर्ण ITC प्राप्त होगा।

उत्तर निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं था:-

(i) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 57 के तहत दिनांक 07 जनवरी 2015 को दिये गये निर्णय के अनुसार कॉपर एवं अल्युमिनियम वायर प्रविष्टि सं0 47 से आच्छादित होने के कारण इस पर 5%की दर से कर देयता होगी।

(ii) माननीय वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल द्वारा अपने दिये गये निर्णय में स्पष्ट किया गया था कि ITC का पूर्ण लाभ प्रदान किये जाने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विक्रेता व्यौहारी द्वारा अधिक वसूला गया कर विभाग में जमा कर दिया गया था, गलत तरीके से वसूल किये गये अधिक कर के सम्बन्ध वापसी का दावा नहीं किया गया था और उसने अपनी विवरणी में Output Tax को रिवर्स नहीं किया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय ट्रिब्यूनल के उक्त निर्णय का संज्ञान लिये जाने से पूर्व उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं किया गया था।

इस प्रकार सन्दर्भित प्रकरण में ₹33,04,032/-के अनियमित ITC का Utilization कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था।

प्रकरण शासन/ विभाग के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी प्रतीक्षा सम्प्रेक्षा में रहेगी।

300

भाग-2 (ख)

प्रस्तर 01- अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.17 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(i)(vii) के प्रावधानों के अनुसार यूक्ति युक्त कारण के बिना कर के विलम्बित जमा पर न्यूनतम 10% का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -III वाणिज्य कर, रूड़की के अभिलेखो के नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री निक्को ऑटो लि0, रूड़की, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा अपना निम्नांकित माहो का देय कर ₹11,68,187/- युक्ति युक्त कारण के बिना विलंब से जमा किया गया था जिस पर न्यूनतम ₹1,16,818.70/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो नहीं किया गया।

माह	कर जमा करने की अनुमन्य तिथि	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि(₹)	न्यूनतम आरोपणीय अर्थदण्ड(₹)
मई-13	25.06.2013	28.06.2013	1,36,472/- 3,500/-	13,647.2/- 350.0/-
जुन-13	25.07.2013	26.07.2013	1,37,900/-	13,790.0/-
जुलाई-13	25.08.2013	27.08.2013	1,06,650/-	10,665.0/-
अक्टुबर-13	25.11.2013	29.11.2013	1,61,890/-	16,189.0/-
नवम्बर-13	25.12.2013	17.01.2014	1,40,270/-	14,027.0/-
जनवरी-14	25.02.2014	20.03.2014	1,50,300/- 10,920/-	15,030.0/- 1,092.0/-
फरवरी-14	25.03.2014	28.03.2014	1,43,420/- 14,365/-	14,342.0/- 1,436.5/-
मार्च-14	25.04.2014	15.05.2014	1,50,000/- 12,500/-	15,000.0/- 1,250.0/-
		योग	11,68,187/-	1,16,818.7/-

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित किये जाने का आशवासन दिया गया। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

298

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	नई इकाई	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) -III वाणिज्य कर रूड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) III वाणिज्य कर रूड़की** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

RK 20-09-17

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र